

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



सं. मानू/शैक्षिक/मि.24/2018-19/100

दिनांक- 03 जनवरी 2019

आदेश

विषय - मानू - शैक्षिक - रैगिंग विरोधी समिति के गठन के संबंध में।  
संदर्भ - कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 18.1.2018 को अनुमोदन।

\*\*\*

यू.जी.सी के "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, 2009" के अनुसरण में, अनुच्छेद 6.3 के अंतर्गत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस में रैगिंग विरोधी समिति का गठन किया गया है :-

1.	कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2.	एसएचओ, रायदुर्गम पी.एस	पदेन सदस्य
3.	अनुशा पुष्पाला, पत्रकार, डेक्कन क्रोनिकल	सदस्य
4.	रूबिना मज़हर, सीईओ, सफ़ा सोसाइटी	सदस्य
5.	कुलानुशासक, मानू	पदेन सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग	पदेन सदस्य
7.	प्रधानाचार्य, पॉलीटेकनीक-हैदराबाद	पदेन सदस्य
8.	विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	पदेन सदस्य
9.	प्रोवोस्ट, बालक छात्रावास	पदेन सदस्य
10.	प्रोवोस्ट, बालिका छात्रावास	पदेन सदस्य
11.	आसिया यासमीन, पीएच.डी, उर्दू, प्रथम वर्ष	सदस्य
12.	श्री. जर्जर अहमद, पीएच.डी., शिक्षा एवं प्रशिक्षण, चौथा वर्ष	सदस्य
13.	श्री. के.एम.बी. अली खान, (अभिभावक प्रतिनिधि)	सदस्य
14.	श्री. अब्दुल राशिद शेख, सहायक कुलसचिव, शैक्षिक	सदस्य सचिव

समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-

- "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, 2009" के प्रावधानों के साथ इस समय रैगिंग से संबंधित लागू किसी भी कानून के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- संस्थान में रैगिंग की रोकथाम के लिए एंटी-रैगिंग दस्ते के प्रदर्शन की निगरानी करना।
- रैगिंग की प्रत्येक घटना पर रोकथाम, निषेध और दंड उपायों के संबंध में उचित निर्णय लेने की सिफारिश करना।
- उक्त विनियमों के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना।
- कोई अन्य जुड़ा हुआ मामला।

गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल की अवधि शैक्षिक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक के लिए या अतिरिक्त आदेश आने तक होगी।

*एम. के. विन्डर*  
कुलसचिव

सेवा में  
सभी सदस्यों को

प्रति : 1. कुलपति के निजी सचिव ; 2. कुलसचिव के निजी सचिव; 3. निदेशक, सीआईटी- यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु; 4. जनसंपर्क अधिकारी/ हिन्दी अधिकारी- उर्दू/ हिन्दी अनुवाद हेतु और 5. संबंधित मिसिल।